Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Jamabandi Cancellation Revision No.- 77/2016

Mayanand Mishra & Ors ..... Petitioners.

Versus

Most. Rani Devi & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	27.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, अररिया द्वारा जमाबंदी अपील सं0–06/2015–16 में दिनांक–10.06.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत कार्यवाही आवेदक को एक नोटिस प्राप्त होने के आधार पर हुई है। आवेदक द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए मामले से संबंधित कागातों की माँग की गई जिसमें स्व0 अमरनाथ मिश्रा का परिवाद पत्र एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया का प्रतिवेदन इन्हें उपलब्ध कराया गया। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-7820/2014 की याचिका एवं आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, अररिया को मामले की तथ्यात्मक जाँचोपरांत निष्पादन का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में जमाबंदी सुधार वाद सं0–78/2014–15 प्रारंभ की गई। अनुमंडल पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी के पिता के नाम से सृजित जमाबंदी को दिनांक–02.08.2014 द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इनके द्वारा समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण अपील सं0–06/2015–16 दायर किया गया जिसे दिनांक–10.06.2016 को खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा एक पक्षीय मत धारित करते हुए गैर तार्किक आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपर समाहर्त्ता, अररिया द्वारा अमरनाथ मिश्रा के पक्षों को बल देते हुए आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को ही आधार बनाकर आदेश पारित किया गया है। जबकि मायाकांत मिश्रा के जमाबंदी का कोई चर्चा नहीं की गई है। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षियों के	

Web Copy, Not Official.

		तथ्यों पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी प्रथम पक्ष अमरनाथ मिश्रा की मृत्यु उपरांत क्रमशः	
	लगातार 27.09.2023	इनके प्रतिस्थापित वैध वारिसान मसो0 रेणु देवी वगैरह के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। वस्तुतः इसमें मूल विवाद टाईटल अपील सं0–51/1965 में पारित निर्णय के आलोक में पैतृक भू–संपत्ति 264.52 एकड़ के हिस्से को लेकर है। नामांतरण वाद सं0–700/1991–92 द्वारा जमाबंदी सं0–6973 मधुकांत मिश्रा के नाम सृजित है जो मौजा–बसंतपुर, थाना सं0–206, खाता सं0–2438, खेसरा सं0–9546 एवं खेसरा सं0–8039, रकवा क्रमशः 8.77 एकड़ तथा 1.35 एकड़ से संबंधित है। उक्त नामांतरण के विरूद्ध आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–219 दिनांक–03.03.2014 द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी सं0–6973 में दो व्यक्ति स्व0 कृष्णकांत मिश्रा एवं स्व0 उमाकांत मिश्रा का नाम बिना किसी आदेश के अलग अक्षरों में अंकित किया गया है। जिसके आधार पर अपीलार्थी ने भू–स्वामी प्रमाण पत्र हासिल किया है। अंचलाधिकारी द्वारा नामांतरण वाद सं0–700/1991–92 के पथभ्रष्ट होने का प्रतिवेदन समर्पित किया है। यह कहना गलत है कि श्री चौधरी के सलाह पर इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उक्त याचिका दायर की गई है। अपर समाहर्त्ता, अररिया द्वारा सभी पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देते हुए नियमानुकूल आदेश पारित किया गया है। वस्तुतः यह विवाद आपसी हिस्सेदारी का है जिसका विचारण सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। नामांतरण के सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए स्व0 मधुकांत मिश्रा के नाम पृथक जमाबंदी सं0–6973 सृजित है जो सही है। स्व0 मधुकांत मिश्रा की जमाबंदी में आवेदक के पिता का नाम गलत रूप से जोड़ा गया है। आवेदक द्वारा तथ्यों की मात्र पुनरावृत्ति की गई है और कुछ तथ्य असंगत रूप से उठाया गया है। मधुकांत मिश्रा के नाम दर्ज जमाबंदी में किये गये हस्तकौशल के संबंध में आवेदक द्वारा कुछ भी तथ्य नहीं रखा गया है। निम्न दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदकगण एवं विपक्षी प्रथम पक्ष आपसी पारिवारिक सदस्य हैं। आवेदकगण का मुख्य कथन है कि जमाबंदी सं0–6973 का मूल जमाबंदी 4337/6745 श्री रामानंद मिश्र, श्री सूर्यानंद मिश्र, श्री विद्यानंद मिश्र व श्री पंचानंद मिश्र पिता–स्व0 जयकांत मिश्र एवं कमलाकांत मिश्र पिता–बबलू मिश्र व दामोदर मिश्र	

Web Copy, Not Official.

		पिता–जगतमणि मिश्र तथा उमानंद मिश्र, मधुकांत मिश्र, नवकांत मिश्र पिता–श्रीकांत मिश्र के नाम से दर्ज है। जमाबंदी सं0–6913 में कृष्णकांत मिश्र व उमाकांत मिश्र पिता–स्व0 कृष्णकांत मिश्र का नाम जोड़ने का अधिकृत कारण उन्हें ज्ञात नहीं है। उप समाहर्त्ता, अररिया ने मामले के विचारण पश्चात् यह पाया है कि नामांतरण वाद सं0–700/1991–92 में अंचलाधिकारी, अररिया के पारित आदेश के विरूद्ध तत्समय प्रवृत्ति बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम–28, 1975) की धारा–15 क्रमशः	
	लगातार 27.09.2023	के अंतर्गत नामांतरण अपील किये जाने के प्रावधान के तहत अपील दायर किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकों द्वारा न तो निम्न न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त के आलोक में समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक–10.06.2016 को पारित आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.